राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 5032/2015

मोहनलाल भोई **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए सचिव, खान एवं भू–विभान विभाग, सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, शास्त्री सर्किल, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 24.04.2015
आदेश की दिनांक : 18.04.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री गजेन्द्र, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठोड़, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव तथा वरिष्ठता एवं समान कार्मिकों को दी गई पदोन्नति के आधार पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमानुसार पदोन्नति के लिए अनुतोष चाहा है।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को जिला एवं सत्र न्यायालय उदयपुर के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर आदेश दिनांक 31.01.1976 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। अपीलार्थी ने अपनी सेवा के दौरान वर्ष 1980 में बम्बई हिन्दी विद्यापीठ से हिन्दी भाषा रत्न परीक्षा जो कि माध्यमिक स्कूल परीक्षा के समतुल्य मान्यता प्राप्त है, माह सितम्बर 1980 में उत्तीर्ण की तथा इसके पश्चात् वर्ष 1985 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मध्यमा (विशारद) परीक्षा उत्तीर्ण की, जो कि उच्च माध्यमिक परीक्षा के समतुल्य मान्यता प्राप्त है। उक्त शैक्षणिक योग्यताओं का आवश्यक इन्द्राज अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में अंकित किया गया है (अनुलग्नक–1 से 4)। आगे अपीलार्थी का कथन है कि समान प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग के अन्य कार्मिकों को वर्णित समकक्ष शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति का लाभ प्राप्ति के क्रम में न्याय प्राप्ति हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एसबी सिविल रिट संख्या 1717/1993 भेरूलाल औदिच्य व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.02.1994 के आधार पर निर्णित की गई (अनुलग्नक–7)।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि वांछित शैक्षणिक योग्यता व उच्च माध्यमिक परीक्षा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण कर योग्यता अर्जित कर लेने तथा आवश्यक सेवा

अनुभव तथा वरिष्ठता के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं कराई गई, जबकि अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को इस संबंध में अनेक बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया गया। अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि वे अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यताओं एवं आवश्यक अनुभव तथा वरिष्ठता व समान कार्मिकों को दी गई पदोन्नति के आधार पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लाभ देय तिथि के प्रभाव से सभी पूर्ववर्ती लाभों सहित प्रदान करावें।

4. प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. हमने विद्वान् अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी की तरफ से यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी की तरफ से प्रस्तुत अनुरोध एवं न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दें। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
7. अतः उक्त अपील, मय लिखित प्रार्थना पत्रों के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

SD/-
(असलम मेहर)
सदस्य

SD/-
(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य